DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Friday, November 3, 2000/ Kartika 12, 1922 (SAKA)

No. 111.

(1) COMMENCEMENT OF THE SEVENTH SESSION OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

Members are informed that the Seventh Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 21st November,2000 at 2.00 P.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

(2) ALLOTMENT OF DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING SEVENTH SESSION

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 21,22,23,24,27,28 and 29 November,2000.

(3) TIME OF SITTING OF LEGISLATIVE ASSEMBLY

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day unless the Speaker directs otherwise.

(4) NOTICES OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of questions is required to be given by the Members. Under Rule 36, the Members can give notice of a maximum of five questions in a day (including Short Notice, Starred and Unstarred Questions). In case any member gives notices of more than five Questions on any day, only his first five notices will be taken up and the remaining notices shall be deemed to have been rejected.

(5) ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE [illegible] SESSION (RULE 37)

For the Seventh Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been

Contd....2/-

Set out as under:-

S.No.	Departments	Date of sitting	Last Date for receipt of quest-ions for the Deptts in Col.2	Date of holding ballot for determina-tion prior-ity for oral answers
1	2	3	4	5
1.	Administrative reforms, General Administration, Development, Excise, Labour, law and Justice			
2.	Sales Tax, Gurudwara Election, Finance, Social Welfare, Planning, Power.			
3.	Services, Forest & Wild Life, Tourism, Election, Education, Training and Technical Education, Higher Education.			
4.	Food and Supplies, Prevention of Food Adulteration, Transport, Public Relations, Family Welfare.			
5.	Urban Development, Welfare of SC/St, Vigilance, Environment, Home.	2		

: 3 :

1	2	3	4	5
6.	Medical and Health, Employment, Jails, Revenue, Information & Technology, Water			
7.	Land and Building Irrigation and Flood Control, Industries, Languages, Co-operative			

Note: Notices of Questions for the Seventh Session will be received with immediate effect.

A Member may give notices of upto five questions in a day including Starred and Unstarred Questions.

Members may kindly note that if notice of any question is received after the last date and time in respect of various departments vide Col.No.3 and 4 on pre-page, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be upto 3.00 P.M.

Contd......4/-

(4) Where the question draws a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clippings of the news item. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.

(5) The clubbing of questions will be done in case of several notices of questions on the same subject-matter are received. Notices of questions subsequently received and repeating in substance the same subject matter are liable to be disallowed (Rule 31 (vii).

(6) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of question. If no priority is indicated , the same will be decided according to the Rules.

(7) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 53) at 5.00 P.M. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

(8) Members may kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31 (xiii).

(6) **SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 287**

Members who want to raise matters under Rule 287 may give notice of the same by 11.00 AM on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 10-15 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the Floor of the House. The matter should relate to only one Department and one issue and for which the Govt. of Delhi is responsible.

7. **PRIVATE MEMBERS' BUSINESS**

The sitting of the House to be held on Friday, the 24th November, 2000 has tentatively been allotted for Private Members' Bills and Resolutions. The notices of Private Members' Bills and Resolutions will be received upto 3.00 P.M. on 8th November, 2000. The Balloting for inter-se priority will be held on 8th November, 2000 at 5.00 P.M. in the Room of Secretary. Members are welcome to participate in the Balloting.

Contd....5/-

(8) **PROCEDURE OF NOTICES**

(a) Kind attention of the Members is invited to Rule 265 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows :-

(1) Every notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be delivered in Office during working hours.

(2) Unless otherwise provided in these Rules, a notice received in the office at hours after those specified in the preceding sub-rule shall be treated as given on the next opening day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office.

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) The Assembly Notice Office is responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay. Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.

(e) The hours specified for the receipt of notices by the Assembly Notice Office are between 10.00 A.M. and 3.00 P.M. on the date mentioned for the same. Notice left at the Notice Office after 3.00 P.M. would be treated as having been received at 10.00 A.M. on the next working day. This is not intended to preclude the members from sending notices addressed to the Secretary by post.

(9) **VISITORS GALLERY**

Attention of the Members is invited to the directions issued by HON'BLE SPEAKER under Rule 291 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly with regard to admission to the Visitors Gallery. The directions inter alia provided that application forms for the issue of visitors gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 21.11.2000 will be

Contd....6/-

accepted upto 5.00 P.M. on the earlier day i.e. 20.11.2000. Similarly, applications for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors gallery being limited, not more than two passes shall be issued to a member for each sitting. No admission cards for the visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery passes for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE :

CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC., IN THE HOUSE MAY KINDLY BE KEPT SWITCHED OFF.

S.K. SHARMA
SECRETARY

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

SEVENTH SESSION

PROVISIONAL CALENDAR OF SITTINGS

21 NOVEMBER, 2000	TUESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
22 NOVEMBER, 2000	WEDNESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
23 NOVEMBER, 2000	THURSDAY	GOVERNMENT BUSINESS
24 NOVEMBER, 2000	FRIDAY	PRIVATE MEMBERS' BUSINESS
25 NOVEMBER, 2000	SATURDAY	HOLIDAY
26 NOVEMBER, 2000	SUNDAY	HOLIDAY
27 NOVEMBER, 2000	MONDAY	GOVERNMENT BUSINESS
28 NOVEMBER, 2000	TUESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
29 NOVEMBER, 2000	WEDNESDAY	GOVERNMENT BUSINESS

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी॥

शुक्रवार, 03 नवम्बर, 2000/कार्तिक 12, 1922॥शक॥

संख्या : 111

॥1॥ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा के सातवें सत्र का प्रारम्भ

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का सातवां सत्र मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2000 को अपराह्न 2·00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा ।

॥2॥ सातवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 21, 22 23, 24, 27, 28 और 29 नवम्बर, 2000 के लिये निर्धारित की गई हैं ।

॥3॥ विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें 2·00 बजे अपराह्न आरम्भ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये ।

॥4॥ प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-33 के अंतर्गत समस्त माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है । नियम-36 के अंतर्गत सदस्य ॥अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सहित॥ एक दिन के लिये केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं । यदि कोई सदस्य एक दिन के लिये पांच से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जायेंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जायेंगी ।

॥5॥ सातवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन॥नियम-37॥

मंत्रियों द्वारा सातवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिये निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है :-

क्रम संख्या	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम 3 में दर्शाये गये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये बैलेटिंग की तिथि
1·	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, विकास, आबकारी, श्रम, विधि एवं न्याय	21·11·2000	7·11·2000 3·00 बजे तक	7·11·2000 5·00 बजे
2·	बिक्री कर, गुरुद्वारा चुनाव वित्त, समाज कल्याण, योजना, ऊर्जा	22·11·2000	8·11·2000 3·00 बजे तक	8·11·2000 5·00 बजे
3·	सेवाएं, वन एवं वन्य जीवन, पर्यटन, चुनाव शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा	23·11·2000	9·11·2000 3·00 बजे तक	9·11·2000 5·00 बजे
4·	खाद्य एवं संभरण, खाद्य अपमिश्रण, परिवहन, जन सम्पर्क, परिवार कल्याण	24·11·2000	10·11·2000 3·00 बजे तक	10·11·2000 5·00 बजे
5·	शहरी विकास, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, सतर्कता, पर्यावरण, गृह	27·11·2000	13·11·2000 3·00 बजे तक	13·11·2000 5·00 बजे
6·	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, रोजगार, जेल, राजस्व, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जल	28·11·2000	14·11·2000 3·00 बजे तक	14·11·2000 5·00 बजे
7·	भूमि एवं भवन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, भाषा, सहकारिता	29·11·2000	15·11·2000 3·00 बजे तक	15·11·2000 5·00 बजे

टिप्पणी

1· सातवें सत्र के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जाएंगी।

2· सदस्य एक दिन में तारांकित, अतारांकित प्रश्नों सहित केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं।

3· माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जाएगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3·00 बजे तक है।

4· जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाए, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जाएंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5· प्रश्नों को सयुंक्त केवल उसी स्थिति में किया जाएगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी। बाद में प्राप्त की गई सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें (नियम 31 (7) के अन्तर्गत) अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6· माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7· प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष (सं0 53) में 5·00 बजे अपराह्न की जाएगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।

8· माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं। ऐसे प्रश्नों को नियम 31(13) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

§6§ नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जो माननीय सदस्य नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, वे प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11·00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11·15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 10-15 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें। विषय केवल एक ही विभाग एवं मुद्दे से संबंधित होना चाहिये जिसके लिये दिल्ली सरकार उत्तरदायी है।

§7§ गैर सरकारी सदस्यों के कार्य

शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2000 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिये आबंटित की गई है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों की सूचनाएं 08·11·2000 को अपराह्न 3·00 बजे तक प्राप्त की जायेगी। प्राथमिकता हेतु बैलेटिंग सचिव के कक्ष में 08·11·2000 को अपराह्न 5·00 बजे की जायेगी। माननीय सदस्यों का बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये स्वागत है।

8· नोटिसों की प्रक्रिया

§क§ सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 265 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं:-

§1§ प्रत्येक नोटिस जिसकी नियमों के अंतर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके या लिखित रूप में दी जायेगी और वह उनके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर दी जायेगी।

§2§ जब तक नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, नोटिस जो कार्यालय में उपर्युक्त नियमों में दिये गये समय के उपरांत अन्य किसी समय में प्राप्त हो, वह अगले दिन खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायेगी।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिये और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिये।

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिये गये सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

(घ) विधान सभा नोटिस कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(ङ·) विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिये विनिर्दिष्ट समय उनके लिये उल्लिखित तिथियों को प्राप्त 10·00 बजे से अपराह्न 3·00 बजे के बीच है। सूचना कार्यालय में अपराह्न 3·00 बजे के बाद दी गई सूचनाओं को अगले कार्य दिवस को प्रातः 10·00 बजे दिया गया माना जायेगा। इसका अभिप्राय सदस्यों को डाक द्वारा सचिव को सम्बोधित सूचनाएं भेजने की सुविधा से वंचित करना नहीं है।

(9) दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र

सदस्यों का ध्यान दर्शक दीर्घा में प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 291 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है। इसके साथ-साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन पत्र, जिस दिन के लिये प्रवेश पत्र चाहिये, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5·00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। उदाहरणार्थ 21·11·2000 को होने वाली सदन की बैठक के लिये दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 20·11·2000 को अपराह्न 5·00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जायेंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिये सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिये दो से अधिक प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जायेंगे ।

दर्शक दीर्घा के लिये प्रवेश-पत्र सामान्यतया उसी दिन जारी नहीं किये जायेंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भाँति जानते हों ।

टिप्पणी :

कृपया सदन में सेलुलर टेलीफोन, पेजर्स अथवा वैद्युत उपकरण (इलेक्ट्रानिक गैजेट) आदि के स्विच बन्द रखें ।

एस·के·शर्मा
सचिव

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
सातवाँ सत्र
बैठकों का अस्थायी कार्यक्रम

......

21 नवम्बर, 2000	मंगलवार	सरकारी कार्य
22 नवम्बर, 2000	बुधवार	सरकारी कार्य
23 नवम्बर, 2000	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
24 नवम्बर, 2000	शुक्रवार	गैर सरकारी कार्य
25 नवम्बर, 2000	शनिवार	अवकाश
26 नवम्बर, 2000	रविवार	अवकाश
27 नवम्बर, 2000	सोमवार	सरकारी कार्य
28 नवम्बर, 2000	मंगलवार	सरकारी कार्य
29 नवम्बर, 2000	बुधवार	सरकारी कार्य

.....